

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, विलाडा
पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 5/2024

वादीगण :-

पूनाराम पुत्र अमराराम के कायम मुकाम:-

1. कानाराम पुत्र पुनाराम
2. बाबूलाल पुत्र कानाराम
3. सुखीदेवी पुत्री पूनाराम
4. पारीदेवी पुत्री पूनाराम
5. कुन्नीदेवी पुत्री पूनाराम
6. तारादेवी पुत्री पूनाराम
7. जिमनाई पत्नी पूनाराम
8. गणकौ देवी पुत्री पुनाराम

जातियान सीरवी निवासीगण जेलवा तहसील विलाडा
बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. गोपाराम पुत्र जोगाराम
2. गणेशराम पुत्र जोगाराम
3. हीरालाल पुत्र जोगाराम
4. हरीराम पुत्र जोगाराम
5. दुर्गादेवी पुत्री जोगाराम जातियान सीरवी निवासीगण जेलवा तहसील विलाडा
6. तेजाराम पुत्र पुखाराम
7. अनाराम पुत्र पुखाराम
8. महेन्द्र पुत्र स्व. मोहनलाल
9. रेखा देवी पुत्री स्व. मोहनलाल
10. सुमन पुत्री स्व. मोहनलाल
11. सुशीला पुत्री स्व. मोहनलाल
12. श्रीमति सुखडी देवी पत्नी मोहनलाल
13. श्रीमति धापूडी पत्नी पुखाराम जातियान सीरवी निवासीगण जेलवा तहसील विलाडा
जिला जोधपुर
14. लदुराम पुत्र ढगलाराम
15. बग्गाराम पुत्र ढगलाराम
16. भूण्डी देवी पुत्री ढगलाराम
17. मिश्रीदेवी पुत्री ढगलाराम
18. श्रीमति सुन्दरी देवी पत्नी ढगलाराम जातियान सीरवी निवासीगण जेलवा तहसील
विलाडा जिला जोधपुर
19. रामाराम पुत्र नैनाराम
20. लालाराम पुत्र नैनाराम
21. ओमप्रकाश पुत्र नैनाराम
22. श्रीमति चुनकी पत्नी नैनाराम जातियान सीरवी निवासीगण जेलवा तहसील विलाडा
23. राजूराम पुत्र भोलाराम
24. मुकेश पुत्र स्व. प्रेमप्रकाश
25. विनोद पुत्र स्व. प्रेमप्रकाश
26. श्रीमति गुडडी पत्नी प्रेमप्रकाश
27. श्रीमति कमला पुत्री भोलाराम जातियान सीरवी निवासीगण जेलवा तहसील विलाडा
28. स्टेट बैंक आफ वीकानेर एण्ड जयपुर शाखा विलाडा
29. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा विलाडा जिला जोधपुर



कलेक्टर
अधिकारी

30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेरी एक्ट

उपस्थिति :-वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1से 12, 14से 21 व 23से 26 की ओर से श्री मोहनलाल सीरयी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 13, 22, 27, 28, 29 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 30 सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक :- 01/11/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जेलवा तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै.मु.वेरा, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गै.मु.सड़ा, खसरा नम्बर 94 रकबा 2.1924 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 95 रकबा 2.0953 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.3767 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/06 हिस्सा वादी का तथा 3/80 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-1 का तथा 3/80 वां प्रतिवादी संख्या-2 का तथा 3/80 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-3 का तथा 3/80 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-4 का तथा 3/80 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-5 का तथा 1/24 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-6 का तथा 1/24 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-7 का तथा 1/120 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-8 का तथा 1/120 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-9 का तथा 1/120 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 का तथा 1/120 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-11 का तथा 1/120 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-12 का तथा 1/24 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-13 का तथा 1/30 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-14 का तथा 1/30 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-15 का तथा 1/30 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-16 का तथा 1/30 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-17 का तथा 1/30 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-18 का तथा 1/24 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-19 का तथा 1/24 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-20 का तथा 1/24 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-21 का तथा 1/24 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-22 का तथा 1/18 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 23 का तथा 1/54 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-24 का तथा 1/54 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-25 का तथा 1/54 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 26 का तथा 1/18 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-27 का । इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त गातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। ग्राम जैतीवास तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.2912 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.1133 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 122/1 रकबा 1.6908 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.2670 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 130/1 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 131/1 रकबा 1.2297 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 133/1 रकबा 1.4400 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कुल खसरा 08 कुल रकबा 5.1776 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/06 हिस्सा वादी का तथा 1/30 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-1 का तथा 1/30 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-2 का तथा 1/30 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-3 का तथा 1/30 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-4 का तथा 1/30 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का तथा 1/24 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का तथा 1/24 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-7 का तथा 1/120 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-8 का तथा 1/120 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 का तथा 1/120 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-10 का तथा 1/120 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या-11 का तथा 1/120 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 का तथा

1/4 हिस्सा की भूमि भोलाराम पुत्र अमराराम, पुनाराम पुत्र अमराराम, अन्नाराम, मोहनलाल, तेजाराम पिसरान पुरखाराम, नैनाराम पुत्र अमराराम जातियान सीरवी को वैचान कर दिया, जिसका राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तकरण संख्या 881 स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार खातेदार हीराराम नाई ने अपनी शेष बची 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा की भूमि को पुनाराम पुत्र अमराराम, भोलाराम पुत्र अमराराम, अन्नाराम, मोहनलाल, तेजाराम पिसरान पुरखाराम जातियान सीरवी को वैचान कर दी। इस प्रकार पक्षकारों की पैतृक भूमि तथा खरीद की भूमि के आधार पर वादी का इस भूमि में 11/48 वां हिस्सा तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का तथा 5/72 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का तथा 5/72 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का तथा 5/360 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का तथा 5/360 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 का तथा 5/360 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 का तथा 5/360 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का तथा 5/360 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 का तथा 1/48 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 का तथा 7/192 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 19 का तथा 7/192 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 20 का तथा 7/192 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 21 का तथा 7/192 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 22 का तथा 11/144 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 23 का तथा 11/432 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 24 का तथा 11/432 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 25 का तथा 11/432 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 26 का तथा 11/144 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 27 का है। इस प्रकार वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 27 अपने-अपने हिस्से को दर्ज कराने के अधिकारी है। यह है कि वादी ने अभी 3 माह पूर्व खसरा नम्बर 129 रकबा 14 बिस्वा गौर मुमकीन बेरा में से अपना नाम बाहर निकालने हेतु हल्का पटवारी के पास जमाबंदी की नकल लेने हेतु गया तो हल्का पटवारी ने राजस्व रेकॉर्ड देखकर बताया कि जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में हिस्सा दर्ज नहीं है, आप पहले हिस्सा दर्ज कराओ तब आपका नाम भूमि से हटेगा। वादी ने तहसील कार्यालय बिलाड़ा से जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 तथा जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की नकल निकलवाई तो उसमें देखने से मालूम पड़ता है कि जमाबंदी संवत् 2063 से 2056 में पक्षकारों का हिस्सा स्पष्ट दर्ज है तथा उसके बाद कम्प्यूटराईज्ड नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार पक्षकारों का हिस्सा दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकार अपने अधिकारों से वंचित हो गये हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 27 जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 के अनुसार दर्ज हिस्सा को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 29 द्वारा वादी अधिकारी हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 29 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से वंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 29 इसके लिए तैयार नहीं हुये तो वादी का दावे के पद संख्या 1 से 2 की 1/6 हिस्सा तथा दावे के पद संख्या-3 का 1/3 वां हिस्सा तथा दावे के पद संख्या 4 का 2/9 वां हिस्सा तथा दावे के पद संख्या 5 का 1/4 वां हिस्सा तथा दावे के पद संख्या 6 का 5/16 वां हिस्सा की भूमि का वंटवाड़ा करने तथा खसरा नम्बर 129 रकबा 14 बिस्वा में वादी का 11/48 वां हिस्सा घोषित कर अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश

करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 29 वादी को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे हैं, इस कारण वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नहीं करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 29 को पावन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। वाद कारण विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 92, 93, 94, 95 तथा खसरा नम्बर 120, 121, 122/1, 125, 127, 130/1, 131/1, 133/1 तथा खसरा नम्बर 119, 124, 126, 128 तथा खसरा नम्बर 122, 123, 130, 131, 132, 133 तथा खसरा नम्बर 704, 705, 706, 710 तथा खसरा नम्बर 540/8 संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा खसरा नम्बर 129 रकबा 14 बिस्वा गैर मुमकीन बेरा में हिस्सा स्पष्ट दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 29 द्वारा वादी के कब्जे व काश्त में दिनांक 16.03.2023 को दखल करने पर तथा तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए तैयार नहीं होने पर बमुकाम ग्राम जेलवा, जैतीमामतहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम जेलवा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गै.मु.सड़ा, खसरा नम्बर 94 रकबा 2.1924 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 95 रकबा 2.0953 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.3767 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर 1/6 वां हिस्सा वादी की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। यह कि ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 0.5097 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.4611 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9708 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर 1/6 वां हिस्सा वादी की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.2912 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.1133 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 122/1 रकबा 1.6908 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.2670 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 130/1 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 131/1 रकबा 1.2297 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 133/1 रकबा 1.4400 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कुल खसरा 08 कुल रकबा 5.1776 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर 1/6 वां हिस्सा वादी की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.5663 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.9789 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.9061 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.6131 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर 1/3 वां हिस्सा वादी की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 1.3106 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.1780 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.6634 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.2751 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कुल खसरा 06 कुल रकबा 2.5565 हैक्टेयर

बिलाड़ा

हर
दिकारी

का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर 2/9 वां हिस्सा वादी की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे । ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 704 रकबा 0.8899 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 705 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 706 0.4530 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 710 रकबा 1.3834 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.9286 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर 1/4 वां हिस्सा वादी की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे । ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 540/8 रकबा 0.9708 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर 5/16 वां हिस्सा वादी की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे । ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 129 रकबा 14 विस्वा गैर मुमकीन वेरा की जमावंदी संवत् 2073 से 2076 की दुरुस्ती की जाकर वादी का 11/48 वां हिस्सा तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का तथा 5/72 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का तथा 5/72 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का तथा 5/360 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का तथा 5/360 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 का तथा 5/360 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 का तथा 5/360 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का तथा 5/360 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 का तथा 1/48 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 का तथा 1/60 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 का तथा 7/192 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 19 का तथा 7/192 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 20 का तथा 7/192 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 21 का तथा 7/192 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 22 का तथा 11/144 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 23 का तथा 11/432 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 24 का तथा 11/432 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 25 का तथा 11/432 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 26 का तथा 11/144 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 27 का दर्ज करने का आदेश फरमावे । प्रतिवादी संख्या 1 से 29 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के बंट ए हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे



पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 16.10.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम जैलवा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भू खसरा नंबर 92 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 2.1924 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 2.0953 हैक्टेयर में वादी का 1/6 वां हिस्सा तथा ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122/1 रकबा 1.6908 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.2670 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 130/1 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131/1 रकबा 1.2297 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 133/1 रकबा 1.4400 हैक्टेयर में वादी का 1/6 वां हिस्सा तथा ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.9789 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.9061 हैक्टेयर में वादी का 1/3 वां हिस्सा तथा ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर

सर
धिकारी


122 रकबा 1.3106 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.1780 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.6634 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.2751 हैक्टेयर में वादी का 2/9 वां हिस्सा तथा ग्राम जैतीवास तहसील विलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 704 रकबा 0.8899 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 705 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.4530 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 710 रकबा 1.3834 हैक्टेयर में वादी का 1/4 वां हिस्सा तथा ग्राम जैतीवास तहसील विलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 540/8 रकबा 0.9708 हैक्टेयर में वादी का 5/16 वां हिस्सा का राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नियमानुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड वाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार विलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार विलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1 जैलवा	1.ओमप्रकाश पुत्र नैनाराम हि. 1/2 खारडिया (सीरवी)	92	0.0081
	2.गणेशराम पुत्र जोगाराम हि. 3/40 खारडिया (सीरवी)	93	0.0809
	3. गोपाराम पुत्र जोगाराम हि. 3/40 खारडिया (सीरवी)	94	2.1924
	4. चुनकी पत्नी नैनाराम हि. 1/12 खारडिया (सीरवी)	95	2.0953
	5. दुर्गादेवी पुत्री जोगाराम हि. 1/30 खारडिया (सीरवी)		
	6. बगाराम पुत्र ढगलाराम हि. 1/15 खारडिया (सीरवी)		
	7. भूण्डीदेवी पुत्री ढगलाराम हि. 1/15 खारडिया (सीरवी)		
	8. मिश्रीदेवी पुत्री ढगलाराम हि. 1/15 खारडिया (सीरवी)		
	9. रामाराम पुत्र नैनाराम हि. 1/12 खारडिया (सीरवी)		
	10. लादूराम पुत्र ढगलाराम हि. 1/15 खारडिया (सीरवी)		
	11. लालाराम पुत्र नैनाराम हि. 1/12 खारडिया (सीरवी)		
	12. सुन्दरीदेवी पत्नी ढगलाराम हि. 1/15 खारडिया (सीरवी)		
	13. हरीराम पुत्र जोगाराम हि. 3/40 खारडिया (सीरवी)		
	14. हीरालाल पुत्र जोगाराम हि. 3/40 खारडिया (सीरवी)		
	कुल खसरा	4	4.3767
2 जैतिवास	1. अनाराम पुत्र पुखाराम हि. 1/12 खारडिया (सीरवी)	120	0.2912
	2. कमलादेवी पुत्री भोलाराम हि. 1/9 खारडिया (सीरवी)	121	0.1133
	3. गुडडीदेवी पत्नी प्रेमप्रकाश हि. 1/27 खारडिया (सीरवी)	121/1	1.6908
	4. तैजाराम पुत्र पुखाराम हि. 1/12 खारडिया (सीरवी)	125	0.0809
	5. धापू पत्नी पुखाराम हि. 1/12 खारडिया (सीरवी)	127	0.2670
	6. पूनाराम पुत्र अमराराम हि. 1/3 खारडिया (सीरवी)	130/1	0.0647
	7. मुकेश पुत्र प्रेमप्रकाश हि. 1/27 खारडिया (सीरवी)	131/1	1.2297
	8. महेन्द्र पुत्र मोहनलाल हि. 1/60 खारडिया (सीरवी)	133/1	1.4400
	9. रेखा पुत्री मोहनलाल हि. 1/60 खारडिया (सीरवी)		
	10. राजूराम पुत्र भोलाराम हि. 1/9 खारडिया (सीरवी)		
	11. विनोद पुत्र प्रेमप्रकाश हि. 1/27 खारडिया (सीरवी)		
	12. सुकडी देवी पत्नी मोहनलाल हि. 1/60 खारडिया (सीरवी)		
	13. सुमन पुत्री मोहनलाल हि. 1/60 खारडिया (सीरवी)		
	14. सुशीला पुत्री मोहनलाल हि. 1/60 खारडिया (सीरवी)		
	कुल खसरा	8	5.1776

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नहीं की इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार विलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव


के अनुसार भूमि का राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फौसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।




 (मुदला शेखावत)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01/11/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।




 (मुदला शेखावत)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी विलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण
पुनाराम

बनाम

प्रतिवादीगण

गोपाराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 05/2024

निर्णय

दिनांक :- 01/01/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1से 12, 14से 21 व 23से 26 की ओर से श्री मोहनलाल सीरवी एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 13, 22, 27, 28, 29 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 30 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फौसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
विलाड़ा

मुबलिंग

बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि नर			फीस कमि नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्षा के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।



(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
विलाड़ा